भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3014
उत्तर देने की तारीख – 18/03/2026

बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सहायता

3014. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के राज्य-वार सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करती है या उसे सुदृढ़ बनाने का विचार रखती है तथा इस संबंध में कौन-से कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बौद्धिक अक्षमता वाले बेघर व्यक्तियों की संख्या का आकलन किया है, जिनमें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त व्यक्ति भी शामिल हैं, तथा उनकी गरिमापूर्ण देखभाल के लिए कल्याण, पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा संबंधी कौन से उपाय लागू किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है तथा उसकी व्यापक रूपरेखा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

क). वर्ष 2011 की जनगणना में बौद्धिक दिव्यांगता (पूर्व में मानसिक मंदता) से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बौद्धिक दिव्यांगजनों के राज्यवार सांख्यिकीय आँकड़े **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है। यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म https://www.swavlambancard.gov.in/ के माध्यम से प्रत्येक दिव्यांगजन

को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किया जाता है। वर्तमान में यूडीआईडी परियोजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। आज की तिथि तक, यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बौद्धिक दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

ख). इस विभाग द्वारा बौद्धिक दिव्यांगता वाले बेघर व्यक्तियों की संख्या का कोई विशिष्ट राष्ट्रीय स्तर का आकलन नहीं किया गया है ।

हालांकि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों, जिनमें बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास से संबंधित प्रावधान है।

दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करके उनके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विभाग ने विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 6000 से अधिक चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा पुनर्वास पेशेवरों को देशव्यापी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त, 'ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999' के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजनों के कल्याण, संरक्षण और सामुदायिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास पंजीकृत संगठनों के माध्यम से आवश्यकता-आधारित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सहयोग देता है तथा 19 दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता) केंद्र, 30 विकास (डे केयर) केंद्र, 29 दिशा-सह-विकास (डे केयर) केंद्र, 09 समर्थ (राहत आवासीय देखभाल) केंद्र, 18 घरौंदा (वयस्कों के लिए ग्रुप होम) केंद्र तथा 11 समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय देखभाल) केंद्र संचालित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय न्यास निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

ग). बौद्धिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को विधायी प्रावधानों तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय न्यास जैसे वैधानिक संगठनों के सहयोग से संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

राष्ट्रीय न्यास अपने पंजीकृत संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित कार्यक्रमों को समर्थन देता है, जिनमें दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता), विकास (डे केयर), समर्थ (राहत आवासीय देखभाल) और घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह आवास) शामिल हैं, जिनके माध्यम से प्रारंभिक हस्तक्षेप, कौशल विकास, डे केयर,

आवासीय देखभाल तथा समुदाय-आधारित सहयोग जैसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जिनका उद्देश्य बौद्धिक दिव्यांगजनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और समाज में भागीदारी करने में सक्षम बनाना है।

ये पहलें, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किए गए उपायों के साथ-साथ, बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र जीवनयापन, सामुदायिक भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

*****

(अनुलग्नक राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 से संबंधित है, जिसका उत्तर 18.03.2026 को दिया जाना है।)

अनुबंध-I

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्धिक दिव्यांगजनों (पूर्व में मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों) की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या ।

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	132,380
2	अरुणाचल प्रदेश	1,264
3	असम	26,374
4	बिहार	89,251
5	छत्तीसगढ	33,171
6	दिल्ली	16,338
7	गोवा	1,817
8	गुजरात	66,393
9	हरियाणा	30,070
10	हिमाचल प्रदेश	8,986
11	जम्मू और कश्मीर	16,724
12	झारखंड	37,458
13	कर्नाटक	93,974
14	केरल	65,709
15	मध्य प्रदेश	77,803
16	महाराष्ट्र	160,209
17	मणिपुर	4,846
18	मेघालय	2,332
19	मिजोरम	1,585
20	नागालैंड	1,250
21	ओडिशा	72,399
22	पंजाब	45,070
23	राजस्थान	81,389
24	सिक्किम	516
25	तमिलनाडु	100,847
26	त्रिपुरा	4,307
27	उत्तर प्रदेश	181,342
28	उत्तराखंड	11,450
29	पश्चिम बंगाल	136,523
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	294
31	चंडीगढ़	1,090
32	दमन और दीव	176
33	दादरा और नगर हवेली	180

34	लक्षद्वीप	112
35	पुदुचेरी	2,335
कुल		**15,05,964**

*****

(अनुलग्नक राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 से संबंधित है, जिसका उत्तर 18.03.2026 को दिया जाना है।)

अनुबंध-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बौद्धिक दिव्यांगजनों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	994
आंध्र प्रदेश	99558
अरुणाचल प्रदेश	238
असम	21407
बिहार	22924
चंडीगढ़	2662
छत्तीसगढ	15350
दिल्ली	14815
गोवा	3631
गुजरात	102236
हरियाणा	35913
हिमाचल प्रदेश	10094
जम्मू और कश्मीर	12064
झारखंड	11301
कर्नाटक	116033
केरल	106317
लद्दाख	464
लक्षद्वीप	347
मध्य प्रदेश	92612
महाराष्ट्र	179741
मणिपुर	3616
मेघालय	8371
मिजोरम	1150
नागालैंड	494
ओडिशा	58493
पुदुचेरी	3480
पंजाब	42646
राजस्थान	27850
सिक्किम	1192
तमिलनाडु	213761
तेलंगाना	92924
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	977
त्रिपुरा	6756
उत्तर प्रदेश	72748
उत्तराखंड	13170
पश्चिम बंगाल	37680

*****